224

संख्याः 155/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. श्री अमन सिन्हा,
अधिवक्ता,
20–सुप्रीम इनक्लेव, मयूर विहार,
फेज–1, नई दिल्ली–110091

2. श्री वी0 मधुकर,
अधिवक्ता,
107–सुप्रीम इनक्लेव, मयूर विहार,
फेज–1, नई दिल्ली–110091

न्याय अनुभागः1

देहरादून : दिनांक 20 जून, 2012

विषय : अपर महाधिवक्ता के पद से आबद्धता समाप्त किया जाना।

महोदय,

शासनादेश सं0–91सी0एम0/XXXVI(1)/2007–75/2007 दिनांक 21–10–2009 एवं शासनादेश सं0–08/XXXVI(1)/2011–147/10 दिनांक 20–01–2011 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक अपर महाधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया गया था। उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ जारी की गयी थी कि उसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा अपर महाधिवक्ता के रूप में आपकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि आपके पास उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित अभिलेख हों तो उन्हें सम्बन्धित एडवोकेट ऑन रिकार्ड को तुरन्त हस्तगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः 155 (1)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।
5– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
6– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

क्रमशः.....2